

उत्तराखण्ड शासन

ग्राम्य विकास विभाग



उत्तराखण्ड शासन

वृत्त का नाम – पी०एम०जी०एस०वाई वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मसूरी
प्रस्तावक खण्ड का नाम – लो०नि०वि० पी०एम०जी०एस०वाई कालसी

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का नाम—: जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता—लाखामण्डल (गोराघाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

विकास खण्ड – चकराता
जनपद – देहरादून
मोटर मार्ग की कुल लम्बाई – 6.150 किमी०

वांछित क्षेत्रफल :- आरक्षित वन भूमि	-	00.00 हैक्टेयर
वन पंचायत भूमि	-	00.00 हैक्टेयर
सिविल सोयम भूमि	-	1.7360 हैक्टेयर
नाप भूमि	-	3.3030 हैक्टेयर
कुल भूमि	-	5.0390 हैक्टेयर

हस्तान्तरण हेतु वांछित भूमि – 1.7360 हैक्टेयर



चैक लिस्ट

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं०
01.	प्रतिवेदन	1
02.	फैक्ट शीट	2-4
03.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र (भाग-1,भाग-2,भाग-3,भाग-4,भाग-5)	5-12
04.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति	13-14
05.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	15
06.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय रिपोर्ट	16
07.	1:50000 पैमाने का डिजिटल मानचित्र	17-18
08.	डिजिटल जी०ओ० रिफरेन्स मैप व सी०डी०	19-20
09.	प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण सहित मानचित्र	-
10.	प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण सहित गूगल मानचित्र	-
11.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र	22
12.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र	24
13.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शेड्यूल	25
14.	परियोजना की लम्बाई व चौड़ाई का प्रमाण पत्र	26-28
15.	बार चार्ट	29
16.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र	30
17.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ब्यासवार विवरण	31-34
18.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन / सारांश	35-36
19.	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण	37
20.	बांज प्रजाति के वृक्ष होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण पत्र	38
21.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र	39
22.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र	40
23.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र	41
24.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र	42
25.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र	43-44
26.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर लागत तथा विश्लेषण की सूचना अंकित करना (5.00 है० क्षेत्रफल से अधिक प्रकरणों में लागू)	45-50
27.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र	51-52
28.	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या	53-54
29.	भू-वैज्ञानिक के सुझाव मान्य होने का बचन बद्धता प्रमाण पत्र	55-56
30.	पर्वतीय क्षेत्रों में टास्क फोर्स की संस्तुतियां मान्य होने का प्रमाण पत्र	57-58

31.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र	59
32.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ एतिहासिक स्थल न होने का प्रमाण पत्र	60
33.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण पत्र	61
34.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/ कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र	62
35.	लाभावित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों का विवरण का प्रमाण पत्र	63
36.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य / लीज रेन्ट का प्रमाण पत्र	64
37.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्रांकलन मय मानचित्र (1.00 है० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	65-66
38.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र	67
39.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल दर्शाया गया है।	68-69
40.	डिजिटल गूगल रंगीन मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल दर्शाया गया है।	70
41.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण 10 गुना वृक्षारोपण का प्रांकलन	71-72
42.	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण पत्र	72
43.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुऐ अनुबन्ध पत्र	
44.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यो का प्रांकलन	78-83
45.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन	99
46.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बडी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र	100
47.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्रांकलन	101
48.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का विवरण (यदि लागू हो)	103
49.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वैबसाईट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव के दो सी०डी० पी०डी०एफ० फोरमेट में।	